कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़

बाह्य स्रोत से कर्मी उपलब्ध कराने हेतु निविदा के लिए नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा बंद लिफाफा में निबंधित डाक/हाथों–हाथ कार्यालयावधि में दिनांक 31/10/16 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय भाग अलग–अलग लिफाफा मे रहना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
2. निविदा के साथ 20000/–(बीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट, जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, रामगढ़ के नाम से अग्रधन के रूप में जमा करना होगा।
3. निविदा में अंकित दर सभी शुल्क सहित अंक तथा शब्दों में कम्प्यूटराईज होना चाहिए कटिंग एवं ओभराईटिंग मान्य नहीं होगा।
4. निविदादाता को को श्रम विभाग से निबंधित होना आवश्यक है। निबंधन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता एजेंसी के माध्यम से चयनित कर्मी को वर्दी में रहना एवं पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता एजेंसी को मजदूर अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कर्मी से ग्रुप बीमा/सामान्य भविष्यनिधि आदि की नियमानुसार कटौति करनी होगी तथा इससे संबंधित विभाग से निबंधन का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा।
7. प्राप्त निविदा को रद्द/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र, रामगढ़ होगा।
8. निविदादाता को अलग–अलग पद के लिए अलग–अलग मासिक दर निविदा में अंकित करना होगा।
9. कर्मियों की न्यूनतम देय राशि श्रम अधिनियम के तहत देय न्यूनतम राशि से कम नहीं होनी चाहिए।
10. वित्तीय निविदा में एजेंसी को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर EPF, ESI, बोनस एवं सेवा कर अलग–अलग अंकों एवं शब्दों में देना होगा।
11. एजेंसी का वार्षिक टर्न ओवर 02 वर्षो में न्यूनतम 10000000/–(एक करोड़) से कम नहीं होना चाहिए।
12. कर्मियों का पारिश्रामिक एवं अन्य देय का भुगतान प्रति माह के प्रथम सप्ताह में करने के उपरांत ही कार्यालय में भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत करेंगे।
13. उपायुक्त द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14. निविदा के आधार पर चयनित एजेंसी को एक वर्ष के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा संतोषप्रद सेवा रहने पर आगे अनुबंध विस्तारित किया जा सकता है। संतोषजनक सेवा नहीं रहने पर एक माह की पूर्व सूचना देकर एकरारनामा समाप्त कर दी जायेगी।
15. निविदा दिनांक 2/11/2016 के अपराह्न 3:00 बजे उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी। उस समय निविदादाता/उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
16. चयनित एजेंसी के कर्मचारियों को किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए अधोहस्ताक्षरी को उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। चयनित एजेंसी को ही इसका मुआवजा/क्षतिपूर्ति की राशि देनी होगी।
17. कंपनी के दो वर्ष का अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
18. निविदादाता को एतद् संबंध शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनका संस्थान सरकार के द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
19. निविदा में मांगी जाने वाली वांछित कागजात के अलावा अलग से कोई भी कागजात संलग्न नहीं करना है। ऐसी स्थिति में निविदा स्वतः रद्द समझी जायेगी।

21/X/16
उपायुक्त
रामगढ़।

20/10/16
सिविल सर्जन
रामगढ़